

(भारत के राजपत्र असाधारण भाग I, खंड I में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
विदेश व्यापार महानिदेशालय
उद्योग भवन, नई दिल्ली

सार्वजनिक सूचना सं. 30 / 2015-2020

दिनांक: 4 सितम्बर, 2019

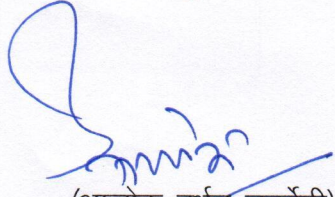
विषय: खाद्य उत्पादों (उत्पाद कोड: 'ड.') हेतु मानक निविष्टि उत्पादन मानदंड का निर्धारण।

समय-समय पर यथासंशोधित विदेश व्यापार नीति, 2015-2020 के पैरा 1.03 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा निर्यात उत्पाद "कोको मक्खन" हेतु खाद्य उत्पाद समूह में क्र० संख्या ड.-135 के साथ नए सिओन को अधिसूचित करते हैं। यह नई प्रविष्टि निम्नानुसार पढ़ी जाएगी:-

सिओन सं.	निर्यात मद	मात्रा	आयात मद	अनुमत मात्रा
ड.-135	कोको मक्खन	1 कि० ग्रा०	कोको बीन्स (सूखा और किण्वित)	2.47 कि० ग्रा०

टिप्पणी: आयात वास्तविक प्रयोक्ता शर्तों के अधीन होना चाहिए।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: खाद्य उत्पाद समूह में निर्यात उत्पाद "कोको मक्खन" हेतु सिओन को अधिसूचित किया गया है।


(आलोक वर्धन चतुर्वेदी)
महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं
पदेन सचिव, भारत सरकार
ई मेल:- dgft@nic.in

(फा० सं० 01 / 85 / 171 / 00077 / एएम-19 / डीईएस-VI से जारी)